लिये



रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05-06 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गणट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007 कार्तिक 28, 1929 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2376/79—वि—1—07-1(क)47-2007 तखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2007] (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के

अधिनियम

. भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
 - (2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 9 का संशोधन 2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 9 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थातू :-

- '(3)(क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपित के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होनें वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;
- (ख) कुलपित अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;
- (ग) कुलपित, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को इस रूप में दूसरे कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकेगा :

परन्तु कुलाधिपित को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपित अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपित द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

निरसन और अपवाद 3-(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश अध्यादेश 2007 एतद्द्वारा निरसितं किया जाता है। संख्या 29

सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्रवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्रवाई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000) की धारा 9 में कुलपित की नियुनित, कार्यकाल, पिरलिब्धियों, सेवा शर्तों आदि का प्रावधान है किन्तु कुलपित के पद पर नियुनित के लिए अधिकतम आयु और उसकी अधिवर्षिता आयु का कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह विनिश्चय किया गया कि कुलपित के पद पर नियुनित के लिए अधिकतम आयु और ऐसे पद पर नियुन्त व्यक्ति की अधिवर्षिता आयु का प्रावधान करने के लिए उन्त धारा को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाही करनी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 29 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, सै0 मजहर अब्बास आब्दी, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR VIDHAYI ANUBHAG-1

No. 2376/LXXIX-V-1-07-1(Ka)47-2007 Dated Lucknow, November 19, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT)

ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 28 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Second Amendment) Act, 2007.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force on August 25, 2007.
- 2. In section 9 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 for subsection (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

Amendment in section 9 of U.P. Act no. 23 of 2000

- (3)(a) Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years."
- (b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years whichever is earlier.
- (c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years may be appointed as such for second term:

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chanceller resign his office, and shall cease to hole his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation."

U.P. Ordinance no. 29 of 2007

3. (1) The Uttar Pradesh Technical University (Second Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

Repeal and Saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the coresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all materia! times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 9 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 (U.P. Act no. 23 of 2000) provides for the appointment, term of office, emoluments, conditions of service etc. of the Vice-Chancellor but there was no provision for maximum age for the appointment to the office of the Vice-Chancellor and the superannuation age thereof. It was, therefore, decided to amend the said section to provide for the maximum age for the appointment to the office of the Vice-Chancellor and the superannuation age of the person appointed to such office.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Technical University (Second Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 29 of 2007) was promulgated by the Governor on August 25, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, S.M.A ABIDI, Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 698 राजपत्र-(हि०)-(1707)-2007-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 355 सा० विधायी--(1708)--2007-850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।